कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1831 /11–सी–FP/UP/Others/14780/2015, लखनऊः दिनांकः मार्च 02 2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
फैजाबाद वन प्रभाग,
फैजाबाद।

विषयः– जनपद–फैजाबाद में फैजाबाद–इलाहाबाद रा0मा0 सं0–330 (ओल्ड–96) के किमी0 126–127 के मध्य दायीं पटरी पर ग्राम–पातूपुर, तहसील–बीकापुर, जिला–फैजाबाद, गाटा/खसरा नं0–474 में आई.ओ.सी.एल. द्वारा प्रस्तावित न्यू रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 सरयू वृत्त, फैजाबाद के कार्यालय का पत्रांक–2694/14–10, दिनांक–22.02.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न है किन्तु उस पर शीर्षक अंकित नहीं किया गया है।
2. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map तथा kml shp file में सी0डी0 सहित संलग्न कर, आनलाईन अपलोड करें।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण फैजाबाद–इलाहाबाद मार्ग पर प्रस्तावित है, जो भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार भविष्य में मार्ग चौड़ीकरण होने के कारण रोड साइड वृक्षारोपण स्वीकार्य नहीं है। अतः वन ब्लाक में स्थल चयनित कर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर, आनलाईन अपलोड करें।
4. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु संशोधित चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित व चिन्हित 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र जिस पर शीर्षक व लीजेण्ड अंकित हो, संलग्न करते हुए आनलाईन अपलोड करें।
5. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में संलग्न करें।
6. ईको–क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना, संलग्न है किन्तु दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गई है। एन0पी0वी0 दर 6.26000 रू0 प्रति हे0 की दर से आंगणित करें।
7. भारत सरकार के पत्रांक एफ0नं0–11–268/2014–एफ0सी0, दिनांक 11.07.2014 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर आख्या/प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।
8. वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी की वचनबद्वता संलग्न है, जो स्वीकार्य नहीं है। अतः जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र मूल में संलग्न कर, आनलाईन अपलोड करें।
9. आन–लाईन, भाग–2, कमांक–5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है।
10. आन–लाईन, भाग–2, के District Profile में हार्डकापी, भाग–2 के अनुसार डाटा फीड नहीं किया गया है।
11. परियोजना की लागत आन–लाईन, भाग–1 व हार्डकापी में भिन्न–भिन्न अंकित है, संशोधित करें।
12. आन–लाईन, भाग–1, कमांक–A-1(vi) में लीनियर फीड है, जो त्रुटिपूर्ण है, नॉन लीनियर फीड करें।
13. आन–लाईन, भाग–1, कमांक–A-1(ii) Name of project for which forest land required तथा कमांक–A-1(iii) Short narrative of the proposal and project/scheme for which the forest land is required में पूर्ण विषय/विवरण अंकित करें।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त कराकर, इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को 02 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(वाई0एस0के0 शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1831 /11–सी– FP/UP/Others/14780/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 सरयू वृत्त, फैजाबाद।
2. आई.ओ.सी.एल. प्रादेशिक कार्यालय, चन्द्रकान्ता भवन, न्यू बुद्वनगर कालोनी, देवरिया बाईपास, तारामण्डल रोड गोरखपुर–273016

(वाई0एस0के0 शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

ACY-962